



पूर्व मध्य रेल
(लेखा विभाग)

कार्यालय
प्रधान वित्त सलाहकार
हाजीपुर

कार्यालय आदेश संख्या:- अराज०/76 /2020

दिनांक: 02.12.2020

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त SO(A) ग्रुप में Appendix-3(IREM) परीक्षा उतीर्ण निम्नलिखित कर्मचारियों को अनंतिम रूप से वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी (लेखा), ग्रेड वेतन रू० 4800/- (Level-8) के पद पर तत्काल प्रभाव से पदोन्नत करते हुए पदोन्नति के उपरांत उन्हे उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में पदस्थापना के आदेश जारी किए जाते हैं:-

Sl. No.	Name (Shri)	Desig	Catg.	Office Working	Posting on promotion under
1	Vikash Kumar	AA	UR	AFA/CRW/HRT	AFA/CRW/HRT
2	Rajan Kumar Srivastav	AA	UR	Sr. AFA/NPS/HJP	Dy. FA&CAO/G/HJP
3	Tarakant Kumar	AA	UR	Dy. FA&CAO/T/HJP	Dy. FA&CAO/T/HJP
4	Brij Mohan Kr. Patwa	AA	UR	Sr. AFA/Estt./HJP	Dy. FA&CAO/G/HJP
5	Dushyant Kumar	AA	UR	Sr. AFA/XP/HJP	Dy. FA&CAO/G/HJP
6	Dinesh Kumar Gupta	AA	UR	Dy. FA&CAO/T/HJP	Budget Section under Sr. AFA/B&B/HJP

नोट:-

1. किसी कर्मचारी के द्वारा पदोन्नति अस्वीकार करने की स्थिति में उनका लिखित आवेदन एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से अग्रेषित किया जाए। ऐसे मामले में IREM Vol I के पैरा 224 के अनुसार उन्हें पदोन्नति हेतु अगले एक वर्ष तक वंचित माना जाएगा।
2. पदोन्नत कर्मचारी वेतन निर्धारण हेतु कार्यालय आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के अंदर अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं। विकल्प प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में नियम 1313 (FR-22) IR-II के अनुसार वेतन का निर्धारण किया जाएगा।
3. उपर्युक्त पदोन्नति कार्यप्रभारित पदों एवं प्रतिनियुक्ति अथवा पूमरे संवर्ग से बाहर कार्यरत कर्मचारियों के कारण उत्पन्न रिक्तियों के विरुद्ध है। अतः कार्यप्रभारित पदों के संचालन में कमी आने या प्रतिनियुक्ति या पू.म.रे. संवर्ग से बाहर कार्यरत कर्मचारियों के पू.म.रे. में वापस आने पर रिक्तियों उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में आवश्यकतानुसार निम्नतम वरीयता पर पदोन्नत कर्मचारी को पदावनत किया जा सकता है।
4. पदोन्नति का लाभ प्रदान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कर्मचारी के विरुद्ध निलंबन/डी.ए.आर. का केस न चल रहा हो।
5. पदस्थापना/कार्यमुक्त प्राधिकार से इस कार्यालय को तत्काल सूचित किया जाए।
6. यह पदोन्नति आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित SLP(C)30621/2011 एवं SLP(C) 31288/2017 में पारित किए जाने वाले आदेश के आलोक में परिवर्तनीय होगा।

[Authority: Note#9 of E file no. ECR-HQ0ACCT(ADMN)/9/2020(Computer No. 3099)]

(शैलाम कुमार)
वसविस/प्रशा०
कृते प्रधान वित्त सलाहकार

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव/प्रविस: प्रविस महोदय के सूचनार्थ।
2. उप विसमुलेधि(वित्त एवं बजट)/हाजीपुर।
3. उप विसमुलेधि(सा.)/हाजीपुर।
4. वमविप्र/दानापुर, मुगलसराय, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
5. उप विसमुलेधि (यातायात)/हाजीपुर।
6. वसविस/सविस, स्थापना(अराज०/राज०),एनपीएस एवं व्यय।
7. वसविस/कारखाना/हरनौत।
8. सचिव/ईसीआरकेयू/एससीएसटी एवं ओबीसी एशोसिएशन।
9. संबंधित कर्मचारी।
10. कार्यालय आदेश पंजिका।
11. सूचना पदल।

शैलाम कुमार
2/12/2020
कृते प्रधान वित्त सलाहकार